

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट (पीठासीन अधिकारी-अमनदीप सिंह छाबडा)

आप. प्रक. क.-204 / 2017
संस्थित दिनांक-17.08.2007
फाईलिंग नं.-7272017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

जितेन्द्र कुमार मरावी पिता रामचरन मरावी उम्र 27 साल,
साकिन चारटोला मेण्डकी थाना बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

- - - - -

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 13/09/2017 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354, 294, 506(भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-07.08.2007 को समय शाम 05:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत केशवलाल का मकान ग्राम चारटोला में फरियादी को उपहति/हमला/सदोष अवरोध करने अथवा भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से पहनी हुई स्कर्ट को उठाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया, फरियादी को लोकस्थान पर माँ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी उर्मिलाबाई ने दिनांक-07.08.07 को आरक्षी केन्द्र बैहर में आकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 07.08.07 की शाम 05:00 बजे अपने घर की परछी में अपने छोटे भाई फागूलाल, बहन कु. सुर्मिला तथा गांव के लड़के मनोज गेर्वे, सानू गेर्वे, परमेश्वर तेकाम के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी जितेन्द्र मरावी प्रार्थीयां को आंगन में बुलाकर ईज्जत लेने की नियत से उसकी स्कर्ट को ऊपर उठाया एवं उसे जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थीयां के चिल्लाने पर सोनिया बाई आकर आरोपी जितेन्द्र को खींचकर ले गई, तब आरोपी सड़क पर खड़े होकर प्रार्थीयां को माँ-बहन की बुरी-बुरी गालियां दिया जो सुनने पर बुरी लगी। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के वि० अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत-मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त चालान क्र. 58/07 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354, 294, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत उर्मिलाबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 294, 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.08.2007 को समय शाम 05:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत केशवलाल के मकान ग्राम चारटोला में प्रार्थी/आहत कु0 उर्मिला को उपहति/हमला/सदोष अवरोध करने अथवा भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— परिव्रादी उर्मिला (अ.सा.1) ने कहा हैं कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 09 वर्ष पूर्व ग्राम चारटोला की है। घटना के समय वह अपने स्कूल से लौट रही थी, तब उसके साथ उसकी छोटी बहन सुर्मिला भी थी। रास्ते में उसका आरोपी के साथ विवाद हुआ था, फिर दोनों अपने-अपने घर आ गये। बाद में घटना के अगले दिन उसने थाना बैहर में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-01 दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 07.08.07 को शाम 05:00 बजे वह स्कूल से घर आने पर अपनी परछी में बहन सुर्मिला, भाई फागूलाल और गांव के अन्य लड़कों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे बुरी नियत से कहा कि तेरी ईज्जत बिगाड़ दूंगा, जिसके बाद उसके चिल्लाने पर आरोपी ने उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी, आरोपी उसकी स्कर्ट को उठाने लगा और धमकी दिया कि चिल्लाने पर जान से खत्म कर दूंगा, फिर उसके चिल्लाने पर सामने रहने वाली सोनियाबाई आई और जितेन्द्र को धक्का देकर घर से बाहर ले गई, तब जितेन्द्र भाग गया। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-02 न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी के साथ मौखिक विवाद हुआ था, उसने आरोपी से स्वेच्छा राजीनामा कर लिया है और वह उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहती है तथा उसने पुलिस को मौखिक विवाद वाली बात ही बताई थी।

6— साक्षी इंदिराबाई (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से कुछ वर्ष पूर्व शाम के समय ग्राम

चारटोला की है। घटना के समय वह अपने पति के साथ खेत में काम करने गई थी। शाम को वापस लौटने पर उसकी लड़की ने उसे बताया कि उसका आरोपी के साथ झगड़ा हुआ था, फिर वह उर्मिला को लेकर अगले दिन पुलिस थाना बैहर रिपोर्ट लिखाने गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि शाम को घर वापस लौटने पर उसकी लड़की उर्मिला ने उसे बताया था कि आरोपी बुरी नियत से घर आया था और उसकी स्कर्ट को उठा रहा था, फिर लड़की ने बताया था कि चिल्लाने पर सोनियाबाई ने आकर आरोपी को अलग किया और तब आरोपी माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी देकर चला गया। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसकी लड़की ने उसे मौखिक विवाद वाली बात बताई थी तथा वह लोग आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

7— फरियादी उर्मिला अ.सा.01 एवं साक्षी इंदिराबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वर्तमान में उनका आरोपी से राजीनामा हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। फरियादी उर्मिला अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी कु0 उर्मिला को उपहति/हमला/सदोष अवरोध करने अथवा भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। अतः आरोपी जितेन्द्र मरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9— प्रकरण में आरोपी दिनांक 02.05.2017 से दिनांक 05.05.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट